

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0 )  
वाद सं0 : 1224 सन 2024  
अनवान :-

1. अमीचन्द पुत्र शेरा जाति मेधवाल निवासी धानसीया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. उमीदेवी पत्नी शेरा जाति मेधवाल निवासी धानसीय तहसील नोहर।
3. भैराराम पुत्र शेरा जाति मेधवाल निवासी धानसीय तहसील नोहर।
4. माडुराम पुत्र शेरा जाति मेधवाल निवासी धानसीय तहसील नोहर।
5. कमल कुमार पुत्र उदाराम जाति मेधवाल निवासी धानसीय तहसील नोहर।
6. गुडीदेवी पत्नी उदाराम जाति मेधवाल निवासी धानसीय तहसील नोहर।
7. तारा पुत्री उदाराम जाति मेधवाल निवासी धानसीय तहसील नोहर।
8. पवन कुमार पुत्र उदाराम जाति मेधवाल निवासी धानसीय तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी  
निर्णय दिनांक :- 07/04/2025

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया की रोही मौजा धानसीया के साबिका खसरा न0 99 की 12.04 बीधा भूमि वादी के पिता शेरा वल्द पन्नाराम जाति मेधवाल निवासी धानसीया को दिनांक 19.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता शेरा वल्द पन्नाराम के कब्जा काश्त में रही थी एव वादी के पिता शेरा वल्द पन्नाराम के देहान्त होने पर उनके वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा पैमाईश हाल में रोही मौजा धानसीया के साबिका खसरा न0 99 की 12.04 बीधा को हाल खसरा न0 409 की 12.04 बीधा बीधा को हैक्टयर में परिवर्तन कर रोही मौजा धानसीया के खसरा न0 409 की 3.1372हैक् में पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है।

आवंटी शेरा वल्द पन्नाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 है जिसके वादी के पिता शेरा वल्द पन्नाराम को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में शेरा वल्द पन्नाराम के वारिस की हैसियत से वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के नाम विरास्तन से दर्ज भी हो चुकी है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज चली आ रही है।

रोही मौजा धानसीया के हाल खसरा न0 409 की भूमि दिनांक 19.07.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादीगण के पिता शेरा वल्द पन्नाराम के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी शेरा वल्द पन्नाराम उसके वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है

वादी के पिता शेरा वल्द पन्नाराम को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षों वाद ही वादी के पिता शेरा वल्द पन्नाराम नियमानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी शेरा वल्द पन्नाराम के देहान्त होने पर उनके वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खसरा वारिसान अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया

जाकर रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 840 के खसरा न0 409 की 3.1372हैक् भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 840 के खसरा न0 409की 3.1372हैक् भूमि जो वादी के पिता शेरा वल्द पन्नाराम को दिनांक 19.07.1968 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता शेरा वल्द पन्नाराम के नाम व कब्जा काश्त में रही थी एवं वादी के पिता शेरा वल्द पन्नाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 तरतीबी प्रतिवादीगण है जिनका अनुतोष वादी के अनुतोष में निहित है इसलिये तर्क किया गया तलबी की आवश्यकता नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 1 की और से परोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बन्ध में जबाब पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान में वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी आवंटन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। परोकार राज का जबाब व मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल किया गया व वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नहीं की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा धानसीया के साबिका खसरा न0 99 की 12.04 बीधा भूमि वादी के पिता शेरा वल्द पन्नाराम को दिनांक 19.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता शेरा वल्द पन्नाराम के कब्जा काश्त में रही थी एव वादी के पिता शेरा वल्द पन्नाराम के देहान्त होने पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा पैमाईश हाल में रोही मौजा धानसीया के साबिका खसरा न0 99 की 12.04 बीधा को हाल खसरा न0 409 की 12.04 बीधा बीधा को हैक्टयर में परिवर्तन कर रोही मौजा धानसीया के खसरा न0 409 की 3.1372हैक् में पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है।

शेरा वल्द पन्नाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 है जिसके वादी के पिता शेरा वल्द पन्नाराम को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में शेरा वल्द पन्नाराम के वारिस की हैसियत से वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के नाम विरास्तन से दर्ज भी हो चुकी है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज चली आ रही है।

वाद भूमि रोही मौजा धानसीया के साबिका खसरा न0 99 की 12.04 बीधा हाल खसरा न0 104 की 3.1372हैक् भूमि दिनांक 19.07.1968को वादी को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादीगण के पिता शेरा वल्द पन्नाराम के कब्जा काश्त में रही है वाद फोटदगी शेरा वल्द पन्नाराम उसके वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है

वादी के पिता शेरा वल्द पन्नाराम को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षों वाद ही वादी के पिता शेरा वल्द पन्नाराम नियमानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में

आज भी शेरा वल्द पन्नाराम के देहान्त होने पर उनके वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 840 के खसरा न0 409 की 3.1372हैक् भूमि का वादी खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बरानी क्षेत्रों में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसीया के साबिका खसरा न0 99 की कुल 12.04 बीघा भूमि शेरा वल्द पन्नाराम जाति मेधवाल निवासी धानसीया को दिनांक 19.07.1968 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णतया साबित है।

आवंटि शेरा वल्द पन्नाराम जाति मेधवाल व उसके पुत्र उदाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी सांख्या 2 ता 8 है जिसके वाद भूमि कब्जा काश्त में है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शेरा वल्द पन्नाराम के वारिस की हैसियत से विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज है उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नहीं किया गया है वारिसान की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी होती है।

अर्थात् वाद भूमि शेरा वल्द पन्नाराम को दिनांक 19.07.1968 को वाद भूमि आवंटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश/नामान्तकरण से साबित है आवंटन के समय से आवंटित भूमि पूर्व में वादी के पिता शेरा वल्द पन्नाराम के कब्जा काश्त में थी एवं वादी के पिता आवटी शेरा वल्द पन्नाराम के देहान्त होने पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बन्ध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा पैमाईश हाल में रोही मौजा धानसीया के साबिका खसरा न0 99 की 12.04 बीघा को हाल खसरा न0 409 की 12.04 बीघा बीघा को हैक्टर में परिवर्तन कर रोही मौजा धानसीया के खसरा न0 409 की 3.1372हैक् में पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है जो मिलान क्षेत्रफल से पूर्णतया साबित है

तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के अनुसार वादी के पिता शेरा वल्द पन्नाराम को रोही मौजा धानसीया के साबिका खसरा न0 99 की 12.04 बीघा हाल खसरा न0 409 की 3.1372हैक् भूमि आवंटन की गई थी। वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि के खातेदारी अधिकार वादी पाने के अधिकारी है

वादीगण के पिता शेरा वल्द पन्नाराम को रोही मौजा धानसीया के खसरा न0 99 की 12.04 बीघा भूमि आवंटन की गई थी जो हाल खसरा न0 409 में परिवर्तन हो चुकी है अर्थात् हाल खसरा न0 409 की भूमि वादी के पिता शेरा वल्द पन्नाराम को दिनांक 19.07.1968 को आवंटित की गई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता शेरा वल्द पन्नाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से गैरखातेदारी वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के नाम दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज शेरा वल्द पन्नाराम को आवंटन दिनांक 19.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तों के अनुसार वादी का पिता आवंटन दिनांक 19.07.1968 के तीन वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था अर्थात् आवंटन आदेश में अंकित समस्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये वाद भूमि जो आवंटन

की गई भूमि का ही हिस्सा को गैरखातेदार दर्ज कर दिया शेष भूमि को खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया जो विधि विरुद्ध है शेष रही वाद भूमि को भी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के पिता मोहनराम को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते हैं।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में परिपत्र / अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमों के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारों के लिए अनु० जाति अनु० जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व बीपीएल परिवारों से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :-

“Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment.”

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प-4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनुसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू० राजस्व ( कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन ) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवंटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन क्षेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आवंटियों को अस्थाई खेती पट्टा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

इस प्रकार राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं।

वादी के पिता शेरा वल्द पन्नाराम जाति मेधवाल ( जो अनूसूचित जाति वर्ग का सदस्य है ) को रोही मौजा धानसीया के खसरा न0 104 हाल खसरा न0 409 की 3.1372हैक् भूमि आवंटन दिनांक 19.07.1968 को आवंटन की गई थी प्रस्तुत आवंटन आदेश नामान्तरण से पूर्णतया साबित है आवंटि शेरा वल्द पन्नाराम के देहान्त होने पर उसके वारिस वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज है अर्थात वाद भूमि वादी के पिता देवीलाल पुत्र जोधाराम को आवंटन नियम 1957/70 के तहत भूमि आवंटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है ।

उपरोक्ता विवेचन से पूर्णतया साबित है कि वादी /आवंटी शेरा वल्द पन्नाराम को रोही मौजा धानसीया के साबिका खसरा न0 104 की 12.04 बीधा भूमि दिनांक 19.07.1968 को आवंटन की गई थी जिसे हाल खसरा न0 409 की 3.1372हैक् में परिवर्तन पैमुद की गई है वाद भूमि आवंटन के समय से पूर्व में वादी के पिता शेरा वल्द पन्नाराम के कब्जा काश्त में थी वादी के पिता शेरा वल्द पन्नाराम के देहान्त होने पर उनके वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के आदिनांक तक लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ऐसी भूमिया जो पूर्व में बारानी क्षेत्र में थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु समय समय पर परिपत्र /अधिसुचनाए जारी की गई है वादी/आवंटी उक्त अधिसुचनाओ/परिपत्र के परिपेक्ष में खातेदारी अधिकारी पाने का अधिकारी है ।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 840 के खसरा 409 की 3.1372हैक् भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/- प्रतिबीधा का 10 प्रतिशत 200/-प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07/04/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- पंकज गढत्रवाल ( आर.ए.एस )

अनवान :-

1. अमीचन्द पुत्र शेरा जाति मेधवाल निवासी धानसीया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

- 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. उमीदेवी पत्नी शेरा जाति मेधवाल निवासी धानसीय तहसील नोहर।
3. भैराराम पुत्र शेरा जाति मेधवाल निवासी धानसीय तहसील नोहर।
4. माडुराम पुत्र शेरा जाति मेधवाल निवासी धानसीय तहसील नोहर।
5. कमल कुमार पुत्र उदाराम जाति मेधवाल निवासी धानसीय तहसील नोहर।
6. गुडीदेवी पत्नी उदाराम जाति मेधवाल निवासी धानसीय तहसील नोहर।
7. तारा पुत्री उदाराम जाति मेधवाल निवासी धानसीय तहसील नोहर।
8. पवन कुमार पुत्र उदाराम जाति मेधवाल निवासी धानसीय तहसील नोहर।


तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1224 सन 2024 निर्णय दिनांक - 07/04/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढवाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 840 के खसरा 409 की 3.1372हैक् भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/- प्रतिबीधा का 10 प्रतिशत 200/-प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )